गृह (ग्रुप–6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या ....878...
दिनांक ...24/6/2020

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः–प.1(3)गृह–9/2018 जयपुर, दिनांकः– 19 JUN 2020

–:आदेश:–

कोविड–19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में लॉकडाउन आदेश दिनांक 19–03–2020 को जारी किया गया था जिसमें राज्य के सरकारी कार्यालयों में आगन्तुकों पर रोक लगा दी गई थी जो दिनांक 31–05–2020 तक थी। लॉकडाउन के कारण कुछ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लॉकडाउन अवधि में शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जा सका है, चुकिं आयुध नियम 2016 के नियम 27 के उपनियम (2) में नवीनीकरण अवधि के अवसान के पश्चात शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने पर नवीनीकरण फीस के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क का प्रावधान है। अतः लॉकडाउन के मध्येनजर नवीनीकरण के विलम्ब शुल्क में छूट दिया जाना समीचीन है।

अतः दिनांक 19–03–2020 से दिनांक 15–06–2020 तक की अवधि में शस्त्र अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से आयुध नियम 2016 के नियम 27 के उपनियम (2) अनुसार लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

–sd–

(पी.सी. बेरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट्स, राजस्थान।
5. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
6. शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप–6) को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

24/6/2020

24/6/20

D/margdarshan

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः–प.1(3)गृह–9 / 2018 जयपुर, दिनांकः– 19 JUN 2020

–ःआदेशः–

कोविड–19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में लॉकडाउन आदेश दिनांक 19–03–2020 को जारी किया गया था जिसमें राज्य के सरकारी कार्यालयों में आगन्तुकों पर रोक लगा दी गई थी जो दिनांक 31–05–2020 तक थी। लॉकडाउन के कारण कुछ शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा लॉकडाउन अवधि में शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया जा सका है, चुकिं आयुध नियम 2016 के नियम 27 के उपनियम (2) में नवीनीकरण अवधि के अवसान के पश्चात शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण का आवेदन प्रस्तुत करने पर नवीनीकरण फीस के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क का प्रावधान है। अतः लॉकडाउन के मध्येनजर नवीनीकरण के विलम्ब शुल्क में छूट दिया जाना समीचीन है।

अतः दिनांक 19–03–2020 से दिनांक 15–06–2020 तक की अवधि में शस्त्र अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से आयुध नियम 2016 के नियम 27 के उपनियम (2) अनुसार लिये जाने वाले विलम्ब शुल्क में छूट प्रदान करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,

(पी.सी. बेरवाल)
विशिष्ट शासन सचिव, गृह

D/margdarshan

Scanned by CamScanner